भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को सुविधाएं

†2. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि तथा इसके अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक बिना किसी विभाजन के समग्र रूप से संचालित किया जाता है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। इस योजना के तहत आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ अनुकूलित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफ़ोर्म, प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, जनजातीय भाषा के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/अनुरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के

अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता शामिल हैं। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायता और उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उचित शिक्षण-अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को सुदृन करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को मजबूत करना, आईसीटी और डिजिटल उपाय का प्रावधान शामिल है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन इस प्रकार है:

वर्ष	**संशोधित अनुमान**
2021-22	30,000.00 करोड़ रुपये
2022-23	32,514.67 करोड़ रुपये
2023-24	33,000.00 करोड़ रुपये

स्रोत: वित्त प्रभाग

(ग): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में राज्य के सभी 33 जिलों के लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	**केंद्रीय आवंटन**	**केंद्रीय रिलीज**	**व्यय***
2021-22	1,009.74 करोड़ रुपये	893.75 करोड़ रुपये	1,863.86 करोड़ रुपये
2022-23	1,371.20 करोड़ रुपये	1,321.25 करोड़ रुपये	1,807.22 करोड़ रुपये
2023-24	1,316.73 करोड़ रुपये	1,132.53 करोड़ रुपये	2,102.98 करोड़ रुपये
2024-25	1,598.43 करोड़ रुपये	255.04 करोड़ रुपये *(दिनांक 20.11.24 की स्थिति के अनुसार)*	736.47 करोड़ रुपये *(दिनांक 20.11.24 की स्थिति के अनुसार)*

स्रोत: केंद्रीय आवंटन के लिए पीएबी कार्यवृत्त, केंद्रीय रिलीज *के लिए प्रबंध पोर्टल और वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में व्यय के लिए प्रबंध पोर्टल और वर्ष 2023-24 में व्यय के लिए राज्य संक्षिप्त और वर्ष 2024-25 में व्यय के लिए पीएफएमएस*

**** व्यय में केन्द्रीय हिस्सा, राज्य हिस्सा और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।***

*****